दो वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र स्थित नवी मुम्बई एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा टैक्सी सेवाओं की हाइरिंग के लिए एजेंसियों के एम्पेनलमेंट हेतु संदर्भ की शर्तें

सी.पी.पी पोर्टल निविदा आई.डी: 2020_एपीडा_508717_1

दिनांक: 10/01/2020

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है और आधिकारिक उपयोग के लिए टैक्सी सेवा उपलब्ध करने के लिए एजेंसियों के सामंजस्य हेतु प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र राज्य के नवी मुम्बई में स्थित एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय भी विभिन्न सेवाओं की भर्ती के लिए सरकारी eGeM पोर्टल पर पंजीकृत है। वे लोग जो सरकारी eGeM पोर्टल से पंजीकृत हैं, वे भी अनुभव के लिए पात्र हैं और वे निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

1. दो निविदा प्रणाली के अंतर्गत सील निविदाओं का आमंत्रण: महाराष्ट्र स्थित नवी मुम्बई एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा टैक्सी सेवाओं की हाइरिंग के लिए महाराष्ट्र स्थित नवी मुम्बई से पंजीकृत एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं से सील निविदा का आमंत्रण किया जा रहा है। वाहनों की आवश्यकता का विवरण निम्नलिखित है: -

क्र.सं.	आवश्यकता का विवरण	वाहनों की संख्या	टैक्सी की श्रेणी
1	टैक्सियों की दैनिक आवश्यकता	आवश्यकता के अनुसार। समय-समय पर एपीडा की आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए विक्रेता पर्याप्त सक्षम हो।	मारुति/डिजायर/एनोवा/फोर्ड/ होंडा अमेज़ या समरुप कारें

2.0 निविदा की प्रस्तुति की अंतिम तिथि: तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार है:

1	एपीडा कार्यालय में निविदा पावती के लिए अंतिम तिथि और समय	3 फरवरी 2020, शाम 4 बजे तक
2	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि और समय	7 फरवरी 2020

यदि निविदा प्रस्तुति की तिथि पर बाद में कार्यालय के लिए छुट्टी या बंद दिन घोषित किया जाता है तो इस कार्यालय के अगले कार्य दिवस पर नियत समय यानी शाम 4:00 बजे तक बिड्स प्राप्त किए जाएंगे।

3.0 दो बिड प्रणाली: बिड को निम्नलिखित रूप में दो भागों में एक सील कवर में प्रस्तुत किया जाए:

क. तकनीकी बिड:

i. तकनीकी बिड केवल अनुबंध- I के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जाए।
ii. अगले पृष्ठ पर खंड संख्या 4.0 में वर्णन के अनुसार तकनीकी बिड को पात्रता मानदंड की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।
iii. हाइपोथेटिकल/कंडिशनल अपूर्ण अधूरी तकनीकी बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
iv. तकनीकी बोली पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाए।
v. अनुबंध-I के अनुरुप तकनीकी बिड को निर्धारित प्रारूप में "टैक्सियों की आपूर्ति के लिए तकनीकी बिड" के रूप में संलग्न किया जाए।

ख. वित्तीय बिड:

i) अनुबंध- II के अनुसार वित्तीय बिड निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाए।
ii) वित्तीय बिड के कवर/लिफाफे पर “टैक्सियों के लिए वित्तीय बिड” उल्लेखित हो।
iii) बिडर्स द्वारा संलग्नक- II में निर्धारित प्रारुप के अनुसार सख्ती से अपने बिना शर्त के मूल्यों को उद्धत किया जाए। इस पर किसी प्रकार की कटाई/कटाई/ओवरराइटिंग (अधिलेखन) स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत क्रमांकित, मुद्रांकित और हस्ताक्षरित हो।
iv) जीएसटी / करों का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।

4.0 पात्रता मानदण्ड:

क्र.सं.	जानकारी का विवरण और आवश्यक दस्तावेज़	एपीडा द्वारा निर्धारित मानदण्ड
1.	फर्म के नाम पर पंजीकृत वाहनों की न्यूनतम संख्या। फर्म के नाम पर टैक्सी/कारों के पंजीकृत प्रमाण-पत्रों की सही प्रतिलिपि को अधिकृत व्यक्ति द्वारा	न्यूनतम 05 (पांच) टैक्सियां अनिवार्य है। हालांकि, वेंडर को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह समय-समय पर एपीडा की आवश्यकता के

	विधिवत रुप से स्व सत्यापित और मुद्रांकित कर प्रस्तुत किया जाए।	अनुसार अधिक टैक्सियां उपलब्ध करवा सके।
2.	न्यूनतम 5 वर्ष की फर्म [(1 की स्व प्रमाणित प्रतियां जमा करें) सत्यापन के लिए फर्म का पंजीकरण / पैन या कोई अन्य सरकारी दस्तावेजी प्रमाण]	अनिवार्य
3.	जी.एस.टी पंजीकरण जी.एस.टी प्रमाण-पत्र की सही प्रतिलिपि को विधिवत रुप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व -प्रमाणित और मुद्रांकित किया जाए।	अनिवार्य
4.	स्थायी खाता संख्या [पैन] स्थायी खाता संख्या की सही प्रतिलिपि को विधिवत रुप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व -प्रमाणित और मुद्रांकित किया जाए।	अनिवार्य
5.	बिना ब्याज के बयाना राशि जमा [ई.एम.डी] [ई.एम.डी को मुम्बई में आहरित "एपीडा" के पक्ष में बैंक ड्रॉफ्ट या बैंकर चैक के ज़रिए प्रस्तुत किया जाए।	50.000 रुपए [बिना ब्याज]
6.	फर्म/कम्पनी की कम्पनी प्रोफाइल (फर्म / कंपनी द्वारा की जा रही प्रासंगिक गतिविधियों के क्षेत्र में एक लेखन प्रस्तुत किया जाए। फर्म इस संबंध में कोई प्रासंगिक दस्तावेज़ भी प्रस्तुत कर सकता है।	अनिवार्य
7.	क्लाइंट की सूची अधिकृत व्यक्ति द्वारा ग्राहकों की सूची विधिवत स्व प्रमाणित और मुद्रांकित कर प्रस्तुत की जाए।	अनिवार्य
8.	बैंकर विवरण [बैंक का नाम/ ब्रांच का पता/ खाता धारक का नाम/ खाता संख्या/ सी.ए या ए.बी बैंक खाता/ आई.एफ.एस.सी कोड संख्या]	अनिवार्य

	महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए कार्य के लिए सशक्तिकरण के बाद RTGS / NEFT के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए	
9.	[संगठन / कंपनी द्वारा इसका स्व प्रमाणन कि फर्म के मुद्रित पत्र प्रमुख पर किसी भी सरकारी संगठन / विभागों द्वारा इसे कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।]	अनिवार्य
10.	आयकर रिटर्न (आई.टी.आर) तीन वर्ष के लिए आई.टी.आर की सही प्रति को अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत रुप से स्व-प्रमाणित और मुद्रांकित कर प्रस्तुत किया जाए।	2016-17 रुपए 2017-18 रुपए 2018-19 रुपए
11.	संबंधित कार्यक्षेत्र / सेवा / क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव * केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम / कॉर्पोरेट कार्यालय / प्रतिष्ठित निजी स्कूलों आदि के विभिन्न कार्यालयों के कम से कम 05 (पांच) कार्य आदेश संलग्न करें।	अनिवार्य
12.	फर्म / कंपनियों के लेटर हेड पर कवरिंग लेटर जिसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत रुप से स्व-प्रमाणित और मुद्रांकित कर प्रस्तुत किया गया हो।	कवरिंग लेटर को फर्म / कंपनी प्रिंटेड लेटर हेड पर बिड के साथ प्रदान किया जाए जिसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
13.	निम्नलिखित रूप में बिड को कवर करें: - 1. सील कवर संख्या एक - "एपीडा को नॉन-ए.सी / ए.सी टैक्सी की आपूर्ति के लिए तकनीकी बिड", क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र। 2. सील कवर संख्या दो - "एपीडा को नॉन-ए.सी / ए.सी टैक्सी की आपूर्ति के लिए	अनिवार्य

	वित्तीय बिड", क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र। 3. तकनीकी और वित्तीय बोलियों वाले सील मास्टर कवर - "एपीडा को नॉन-ए.सी / ए.सी टैक्सी की आपूर्ति के लिए बोली", क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र मास्टर कवर सहित तकनीकी और वित्तीय बिड्स के लिए बिड और उसके कवर को सील किया जाना चाहिए और दिशानिर्देशों के अनुसार उपरिलिखित किया जाए।	

4. बयाना जमा (ई.एम.डी)

4.1 बिड के साथ नवी मुंबई, महाराष्ट्र में देय "एपीडा" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत / वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर /बैंकर चेक के रूप में 50,000 रुपए (केवल पचास हजार) की ई.एम.डी प्रस्तुत की जाए। ई.एम.डी के बिना बिड पर विचार नहीं किया जाएगा और बिड को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4.2 ई.एम.डी बिना ब्याज के होगा और निविदा प्रक्रिया के पूरे होने के लिए महाराष्ट्र स्थित नवी मुम्बई एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय के साथ के साथ रखने की अवधि के दौरान कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4.3 कम से कम अंतिम निविदा वैधता अवधि से परे 60 दिनों की अवधि के लिए वैध हो।

4.4 यदि बोली लगाने वाला अपनी बोली की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी संबंध में बोली से वापस ले लेता है या उसमें संशोधन करता है या उसे भंग करता है तो बोली लगाने वाले की EMD जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि सफल बोलीदाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर 50,000 रुपये (केवल पचास हजार रुपये) की आवश्यक निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो इसकी ई.एम.डी जब्त कर ली जाएगी।

4.5 निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिना ब्याज के सभी असफल बोलीदाताओं को ई.एम.डी वापस कर दी जाएगी और उनसे निष्पादन सुरक्षा प्राप्त होने के बाद सफल बोलीदाताओं को अनुबंध का पुरस्कार दिया जाएगा।

5. निष्पादन सुरक्षा:

5.1 सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध मिलने के 10 दिनों के भीतर नवी मुम्बई, महाराष्ट्र के नाम पर “एपीडा” के पक्ष में स्वीकार्य रूप में वाणिज्यिक बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद / बैंक गारंटी के रूप में 50.000 / - (केवल पचास हजार रुपए) की निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करनी होगी।

5.2 निष्पादन सुरक्षा आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्व के पूरे होने के अतिरिक्त 60 दिनों या एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

5.3 सभी मामलों में संतोषजनक ढंग से अनुबंध पूरा होने के बाद निष्पादन सुरक्षा विक्रेता को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

5.4 यदि फर्म अनुबंध के किसी भी नियम या शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है तो निष्पादन सुरक्षा को जब्त कर लिया जाएगा इसके अतिरिक्त यह ब्लैक लिस्टेड भी हो सकती है।

5.5 यदि कोई बोली लगाने वाला पहले से ही किसी अन्य मंत्रालय / केंद्रीय सरकार को विभाग प्रदान कर रहा है, तो उसे भी बोलियों के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. तकनीकी बिड में निम्नलिखित विवरण शामिल हों:

6.1 ठेकेदार के पास सरकार/ अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों को वाहन उपलब्ध करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संबंधित विभाग से संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र को तकनीकी बोली के साथ सुसज्जित करने की आवश्यकता है अन्यथा निविदा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं माना जाएगा।

6.2 बिड के साथ पैन और जी.एस टी संख्या की स्व-प्रमाणित प्रति और नवीनतम आय कर विवरणी/सेवा कर प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

6.3 बोली लगाने वाले से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह विवरण हो कि सभी नियम और शर्तें उसे स्वीकार्य हैं।

6.4 50,000/- रुपए की ई.एम.डी (केवल पचास हज़ार रुपए)।

6.5 परिवहन कंपनी / फर्म के नाम पर पंजीकृत सभी करों की आर.सी की प्रतियां प्रस्तुत की जाएं।

6.6 बोली लगाने वाले के पास कम से कम 05 वाहनों का स्वामित्व हो। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर दिए गए निर्देशों और नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ें और विचलन के साथ नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करें। यदि निविदा के नियम और शर्तों से कोई विचलन होता है, तो उन्हें विचार के लिए तकनीकी बोली में स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है।

7. अन्य नियम एवं शर्तें

7.1 जोखिम किराया खंड: यदि अनुबंधित फर्म अनुबंधित वाहनों की अपेक्षित संख्या की आपूर्ति करने में विफल रहती है, तो यह कार्यालय फर्म के जोखिम और लागत पर अन्य टैक्सी स्टैंड से टैक्सी किराए पर लेने का अधिकार रखता है। वैकल्पिक व्यवस्था और निविदा मूल्य के बीच लागत अंतर फर्म से समान रूप से वसूल किया जाएगा।

7.2 यदि संपर्ककर्ता बोली के अनुबंध के बाद और उसकी स्वीकृति के बाद यानी अनुबंध के पुरस्कार के बाद, इन निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, या अपनी संपर्क अवधि को पूरा करने में विफल रहता है या किसी भी समय अनुबंध को रद्द कर देता है, महाराष्ट्र स्थित नवी मुंबई के एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय को बोली लगाने वाले द्वारा जमा किए जाने पर ई.एम.डी या निष्पादन सुरक्षा को जब्त करने का अधिकार होगा।

7.3 प्रदान किए गए वाहनों को टैक्सियों के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाए और मुंबई एवं महाराष्ट्र क्षेत्र में यात्रा करने के लिए क्षेत्रों की उचित अनुमति ली जाए। साथ ही यह अनुमति वाहन 4 साल से अधिक न हो।

7.4 ठेकेदार लघु सूचना / (30 मिनट के भीतर) पर टैक्सी उपलब्ध कराने में सक्षम हो। ऑपरेटर का टैक्सी स्टैंड क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई के 5 किमी के दायरे में हो। नियमित आवश्यकताओं के लिए टैक्सी को गंतव्य स्थान तक 10 मिनट पहले पहुंचना होगा।

7.5 टैक्सी में लगे ड्राइवरों के पास टैक्सी चलाने के लिए वैध ड्राइविंग वाणिज्यिक लाइसेंस होना चाहिए, परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए फर्म / सेवा प्रदाता को अपनी लागत पर ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा और इस कार्यालय में जमा करना होगा। अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे रोड टैक्स क्लीयरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र आदि सभी वाहनों के लिए अस्तित्व में हो। सेवा प्रदाता द्वारा 04.03.2017 की अधिसूचना सं. एम.वी.आर.0315/सी.आर109/टी.आर.ए-2 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए महाराष्ट्र सिटी टैक्सि नियम, 2017 के सभी प्रावधानों को निश्चित किया जाए।

7.6 सेवा के दौरान ड्राइवर एजेंसी द्वारा उपलब्ध गई अपनी वर्दी पहने और मोबाइल फोन अपने पास रखें एवं शिष्ट व्यवहार बनाए रखें।

7.7 ड्राइवर को मोटे तौर पर नवी मुंबई, महाराष्ट्र के प्रमुख मार्गों के बारे में पता हो।

7.8 ड्यूटी पर जाने वाले वाहनों को स्वच्छ स्थिति में रखना होगा। प्रदान किए गए वाहन की सामान्य स्थिति अच्छी हो। वाहन की सीट आरामदायक हो। सीटों को हमेशा साफ सुथरे और अच्छी गुणवत्ता वाले कवर से ढका जाए। वाहन गंदे या जर्जर हालत में पाए जाने पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा

7.9 यात्रा के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति में, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और ऐसा ना करने पर खुले बाज़ार से टैक्सी की व्यवस्था की जाएगी। इस स्थिति में लिए किए गए खर्च को कॉन्ट्रैक्टर के मासिक बिल से काट दिया जाएगा।

7.10 विभाग कॉन्ट्रैक्टर को एक माह के नोटिस की सूचना देकर कोई भी कारण बताए बिना अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.11 जुर्माना खंड:

कॉन्टैक्टर द्वारा कार्य निष्पादन जैसे विभाग की पूर्ण संतुष्टि के लिए किसी भी समय भाड़े के आधार पर टैक्सी की आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध को रद्द करने या भाग या पूर्ण में ठेकेदार के कारण भुगतान को रद्द करने और निष्पादन सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

7.12 बिलिंग गैराज / टैक्सी स्टैंड (मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के 5 किलोमीटर के साथ) या निर्धारित स्थान से शुरू और समाप्त होगी। सभी वाहनों को आवश्यक रूप से पहले डीलिंग अधिकारी एपीडा को रिपोर्ट करना चाहिए। जहां मीटर रीडिंग को नोट किया जाएगा और फिर रविवार या छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में गंतव्य के लिए प्रवृत्त होगा। रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन वाहन सीधे निर्दिष्ट व्यक्ति को रिपोर्ट कर सकता है, जहाँ गैरेज / टैक्सी स्टैंड से मीटर रीडिंग का उपयोगकर्ता से नोट लिया जाएगा।

7.13 कई बार एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई और महाराष्ट्र को किसी भी सम्मेलन / बैठक के संबंध में विशिष्ट दिनों में अतिरिक्त टैक्सियों की आवश्यकता हो सकती है। कॉन्टैक्टर द्वारा अन्य टैक्सी ऑपरेटरों के साथ अपनी तरफ से आवश्यक टाई-अप करके

कारों की अतिरिक्त मांग की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व लिया जाए और ऐसे अतिरिक्त वाहनों को अनुबंध दरों और शर्तों पर आपूर्ति की जाए।

7.14 अनुबंध मिलने की तिथि से लेकर दो वर्ष के लिए अनुबंध मान्य होगा और पार्टियों की आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए विस्तार योग्य होगा। बल माप परिस्थितियों के अतिरिक्त टैक्सियों की आपूर्ति के लिए अनुमोदित दरों में बढ़ोतरी का कोई अनुरोध किसी भी अन्य कारण से संपर्क की अवधि के दौरान मंजूर नहीं किया जाएगा।

7.15 यदि किसी भी अवसर पर यह पाया जाता है कि किसी भी वाहन के चालक ने ड्यूटी स्लिप में समय और किलोमीटर पढ़ने से संबंधित गलतियां दर्ज की हैं तो ड्यूटी / यात्रा शुरू करना या बंद करने का उत्तरदायित्व कॉन्टैक्टर का होगा। कार्यालय ऐसे वाहन के संबंध में दिन का पूरा भुगतान रखने का अधिकार रखता है।

7.16 यह आवश्यक है कि प्रत्येक वाहन के लिए ड्राइवर द्वारा एक लॉग-बुक बनाए रखी जाए जिसमें दिन के दौरान की जाने वाली विभिन्न यात्राओं का विवरण सुबह से लेकर अंतिम ड्यूटी अलग से और सभी प्रविष्टियों को उपयोगकर्ताओं से सत्यापित किया जाए। प्रत्येक माह बिल जमा करने के समय सत्यापन के लिए लॉग बुक को प्रमुख प्रशासन को दिखाना होगा।

7.17 टैक्सियों की हाइरिंग की स्थिति में 50 कि.मी या 5 घंटे को आधे दिन के रुप में माना जाएगा। वाहन की 5 घंटे से अधिक ली गई सेवा की स्थिति में पूरा दिन माना जाएगा। इस स्थिति में "कि.मी" की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि 5 घंटे की अवधि में वाहन का 50 कि.मी से अधिक उपयोग किया गया है तो शुल्क प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी के लिए होगा और वाहन को 'आधे दिन' के उपयोग के रूप में माना जाएगा यदि समय सीमा 5 घंटे से ऊपर जाती है तो वाहन को 'पूरे दिन' के लिए उपयोग में माना जाएगा। तब 'कि.मी' के उपयोग की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

7.18 इस निविदा दस्तावेज़ को विभाग की वेबसाइट: www.apeda.gov.in और केंद्रीय सार्वजनिक प्राप्ति पोर्टल: www.eprocure.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

7.19 निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में विभाग के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7.20 यदि कोई बिडर बिड की शर्तों से सहमत नहीं है, तो वह बिडिंग के कारण लिखित में दे सकते हैं। बिड्स अस्वीकृत होने पर बोलीकर्ता के पास अस्वीकृति के कारण जानने की मांग का भी अधिकार है।

7.21 निविदा के प्रत्येक पृष्ठ की पृष्ठ संख्या: [बोली और सभी दस्तावेजों की उचित पृष्ठ संख्या इकट्ठा की जाए]। दस्तावेजों का अनुक्रमण भी उचित रूप से किया।

7.22 पत्रशीर्ष पर स्व-घोषणा पत्र (हस्ताक्षरित और मुद्रांकित) हो जिसमें यह विवरण हो कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा बोलीकर्ता को कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय प्रभारी, एपीडा,
4 मंजिल, यूनिट नंबर 3 और 4,
बैंकिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नं.II,
सेक्टर 19 / ए, वाशी,
नई मुंबई -400 705
मुंबई, महाराष्ट्र

दिनांक:

तकनीकी बिड हेतु आवेदन फॉर्म

संलग्नक-क

क्र.सं.	पात्रता मानदंड का विवरण	फर्म/कंपनी द्वारा भरा गया विवरण	पृष्ठ सं.
1	संगठन/कंपनी का नाम (अधिकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण दस्तावेज़ विधिवत रुप से स्व-प्रमाणित एवं मुद्रांकित)		
2	प्रोपराइटर / सहभाग का नाम		
3	पिन कोड नंबर के साथ पत्राचार का पूरा पता		
4	कंपनी / फर्म / बिडर के नाम पर कम से कम 05 (पांच) टैक्सी / कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी) न्यूनतम 05 (पांच) टैक्सियां अनिवार्य हैं। सभी आर.सी की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं। हालांकि, समय-समय पर वेंडर क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र को अधिक संख्या में टैक्सी उपलब्ध करने के लिए सक्षम हो।		
5	संपर्क विवरण: फोन नंबर ई-मेल पता मोबाइल नंबर		
6	फर्म की कंपनी प्रोफाइल/ फर्म / कंपनी द्वारा की जा रही प्रासंगिक गतिविधियों के फील्ड में एक लेखन प्रस्तुत किया जाए। फर्म इस संबंध में कोई प्रासंगिक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता है।		
7	क्लांट्स की सूची		

	संपर्क विवरण के साथ केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम / कॉर्पोरेट कार्यालयों के क्लांट्स की सूची प्रस्तुत की जाए।		
8	बैंकर का विवरण [बैंक का नाम / शाखा का पता / खाता धारक का नाम / खाता संख्या / सी.ए या एस.बी बैंक खाता / आई.एफ.एस.सी कोड नंबर] महाराष्ट्र स्थित नवी मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए कार्य के लिए सशक्तिकरण के बाद RTGS / NEFT के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने हेतु		
9	गैर-ब्लैक लिस्टिंग का स्व प्रमाण-पत्र संगठन/कंपनी द्वारा इसका स्व-प्रमाणन कि उसे कभी सरकारी संगठन/विभागों द्वारा ब्लैक-लिस्ट नहीं किया गया है।		
10	फर्म का पंजीकरण फर्म न्यूनतम 5 वर्ष का हो। मान्यता प्रमाण-पत्र/पैन/कोई अन्य सरकारी दस्तावेज़ी प्रमाण को अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणित और मुद्रांकित कर संलग्न किया जाए।		
11	जी.एस.टी पंजीकरण अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणित और मुद्रांकित जी.एस.टी प्रमाण-पत्र की प्रति		
12	आय कर विभाग द्वारा जारी पैन पैन की विधिवत रुप से स्व प्रमाणित और मुद्रांकित प्रति		
13	आयकर विवरणी (आई.टी.आर) एजेंसी द्वारा पिछले तीन वर्षों के आय कर	2016-17 रुपए 2017-18 रुपए	

	रिटर्न की विधिवत रुप से स्व प्रमाणित और मुद्रांकित प्रति प्रस्तुत की जाए	2018-19 रुपए	
14	पिछले तीन वर्षों से फर्म का टर्नओवर फर्म का न्यूनतम टर्नओवर प्रत्येक वर्ष 15 लाख रुपए प्रति वर्ष हो एक योग्य सी.ए द्वारा बैलेंस शीट और सी.ए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें पिछले तीन वर्षों में फर्म के टर्नओवर को प्रमाणित किया जाए। सी.ए प्रमाण-पत्र सभी प्रकार से मूल रुप में पूर्ण हो।	2016-17 रुपए 2017-18 रुपए 2018-19 रुपए	
15	न्यूनतम 05 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्र / सेवा / क्षेत्र में कार्य अनुभव • फर्म को संबंधित क्षेत्र / सेवा में न्यूनतम पांच वर्ष का कार्यानुभव हो। • केंद्रीय/राज्य सरकार/ पी.एस.यू/कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों आदि के विभिन्न कार्यालयों के कम से कम 05 (पांच) कार्य ऑर्डर संलग्न करें।		
16	नवी मुंबई महाराष्ट्र पर "एपीडा" के नाम से बैंक ड्राफ्ट / फिक्स्ड डिपॉजिट / पे ऑर्डर आदि के माध्यम से बिना ब्याज के जमा धनराशि 50,000 रुपये (केवल पचास हजार रुपए)। ई.एम.डी अनिवार्य है।	• संख्या • दिनांक • रुपए • बैंक का नाम • शाखा	
17	निम्न के रूप में सम्मिलित बिड सब्सक्राइब करें: - 1. सील कवर नंबर एक - "तकनीकी बिड" 2. सील कवर नंबर दो - “वित्तीय बोली” 3. तकनीकी और वित्तीय बिड्स वाले सील मास्टर कवर - "नॉन-ए.सी / ए.सी	अनिवार्य	

	डी.एल.वाय टैक्सी की आपूर्ति के लिए बिड" तकनीकी और वित्तीय बिड्स के लिए बिड्स और उसके कवर सहित मास्टर कवर को दिशा-निर्देशों के अनुसार सील और सब्सक्राइब किया जाए।		

घोषणा: यह प्रमाणित है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी हमारे ज्ञान में प्रमाणित और सत्य है। कोई सूचना या दस्तावेज फर्जी / गलत पाए जाने की स्थिति में एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र द्वारा बोली को रद्द / अस्वीकार किया जा सकता है। यह भी पुष्टि की जाती है कि एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र के इस निविदा दस्तावेज के सभी नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

(बिडर का नाम और हस्ताक्षर)
फर्म के पूरे नाम के साथ
कंपनी का रबर स्टैम्प

तिथि:

<u>वित्तीय बिड</u> **संलग्नक-II**

क्र.सं.	विवरण	डिजायर/इंडिगो/स्विफ्ट/ होन्डा अमेज़ और समकक्ष कारें		टोयोटा इनोवा/ महिंद्रा ज़ाइलो/ स्कोरपिओ और समकक्ष कारें	
		नॉन-ए.सी	ए.सी कार	नॉन-ए.सी	ए.सी कार
1.	पूरे दिन की स्थानीय सेवा 80 कि.मी और 8 घंटे				
2.	आधे दिन की स्थानीय सेवा 50 कि.मी और 5 घंटे				
3.	पूरे दिन की आउटस्टेशन (बाह्‍य स्थान) सेवा का शुल्क [250 कि.मी से कम]। टोल और राज्य वास्तविक कर पर अतिरिक्त				
4.	1,2 और 3 कि.मी से ऊपर अतिरिक्त स्थानीय प्रति कि.मी शुल्क				
5.	1,2 और 3 कि.मी से ऊपर अतिरिक्त आउटस्टेशन (बाह्‍य स्थान) प्रति कि.मी शुल्क				
6.	1,2 और 3 से ऊपर के लिए अतिरिक्त घंटों हेतु प्रति घंटा शुल्क				
7.	स्थानीय सेवा के लिए ड्राइवर के लिए रात्रि शुल्क				
8.	आउटस्टेशन (बाह्‍य स्थान) सेवा के लिए ड्राइवर के लिए रात्रि शुल्क				
9.	जी.एस.टी / करों का अलग से उल्लेख किया जाए				

घोषणा: यह प्रमाणित है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी हमारे ज्ञान में प्रमाणित और सत्य है। कोई सूचना या दस्तावेज फर्जी/गलत पाए जाने की स्थिति में एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र द्वारा बोली को रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है। यह भी पुष्टि की जाती है कि एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र के इस निविदा दस्तावेज के सभी नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

(बिडर का हस्ताक्षर)
फर्म के पूरे नाम के साथ
कंपनी का रबर स्टैम्प

तिथि:

संलग्नक 1

एपीडा के लिए ए.सी/नॉन ए.सी टैक्सी सेवा की हाइरिंग के लिए एजेंसी के एम्पेनलमेंट हेतु आवेदन पत्र

	संगठन का नाम	
	पत्राचार का पता	
	संपर्क व्यक्ति	
	संपर्क विवरण	
	एजेंसी की प्रोफाइल	
	ड्राइवर के कुल वेतन भुगतान का विवरण	
	खंड 5.1 के अनुसार अनुभव (वर्षों की संख्या)	
	वाहनों की संख्या (वाहनों का स्वामित्व)	
	पिछले 2 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2016-17, 2017-18) के लिए आवेदक बोलीदाता के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सी.ए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए न कि समूह / संबंधित संगठनों के लिए।	
	पिछले 3 वर्षों के लिए नवीनतम आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।	
	स्थायी खाता संख्या (स्वप्रमाणित प्रति)	
	जी.एस.टी (स्वप्रमाणित प्रति)	
	टिन संख्या (स्वप्रमाणित प्रति)	
	टेन संख्या (स्वप्रमाणित प्रति)	
	क्लाइंट्स की सूची	
	एक स्व-प्रमाणित उत्तरदायित्व का यह	

	उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।	
	आवेदन शुल्क का विवरण	दिनांक डी.डी.संख्या
	बयाना धन	दिनांक डी.डी.संख्या
	परिवहन कंपनी / फर्म के नाम पर पंजीकृत सभी वाहन की आर.सी की प्रतियां	
	अन्य प्रासंगिक विवरण	
	संलग्नकों की सूची	

मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और इसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो संगठन और न ही संगठन के किसी भी अधिकारी ने अनैतिक प्रथाओं और किसी जांच / सतर्कता एजेंसियों या अदालतों का सहारा नहीं लिया है।

हस्ताक्षर ____________________

नाम ____________________

____

कंपनी सील के साथ पद

दिनांक ___/___/___

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार

एपीडा के उपयोग के लिए नियमित आधार पर ए.सी और नॉन-ए.सी कारों की हाइरिंग के लिए नवी मुम्बई/मुम्बई में स्थित प्रतिष्ठित टूर एवं ट्रेवल एजेंसियों/कंपनियों से दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) में सील निविदाएं आमंत्रित हैं।

कार्य के स्कोप के विवरण और संदर्भ की शर्तों को एपीडा वेबसाइट www.apeda.gov.in के घोषणाएं एवं निविदा खण्ड में देखा जा सकता है।